न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 56 / 2020

लियाकत अली निवासी हम्मालों की मस्जिद के पास कस्बा टोडारायसिंह जि0टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 31-12-2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला-टोंक को दिनासंक 6-10-2020 को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1-कस्बा टोडारायसिंह में सेटलमेंट से पूर्व कुल कितनी चरागाह भूमि थी और सेटलमेंट से पूर्व कुल कितनी चरागाह भूमि थी और सेटलमेंट के बाद कस्बा टोडारायसिंह में कितनी चरागाह भूमि शेष है मय खसरा नं. के सत्य प्रतिलिपि।

2-कितनी चरागाह भूमि पर किस्म परिवर्तन मय किन किन खातेदारों के दर्ज की गई है व किसके आदेश से की गई है यदि चरागाह भूमि किसी के खातेदारी में दर्ज की गई है वह नियमानुसार वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो आपने क्या कार्यवाही की सभी की सत्य प्रतिलिपि।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ने उनके पत्र कमांक 6694 दिनाक 2-11-2020 से आवेदक को जवाब प्रेषित किया जाकर प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड जो कार्यालय में उपलब्ध हो वहीं दिया जा सकता है, इस सम्बन्ध में आवेदक को जवाब भिजवाया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:58:41 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner